वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 237/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-04.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 04.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना-देवगांव:- नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

आवेदक द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त विनय पुत्र मेवालाल निवासी शहरीबन्धा थाना देवगाव, आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र 8 वर्ष के साथ जबरजस्ती गलत काम किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5(M)/6 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.07.2025 को प्र0नि0 विमल प्रकाश राय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विनय पुत्र मेवालाल निवासी शहरीबन्धा थाना देवगाव, आजमगढ़ को सरूपहां बाजार से समय करीब 21.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 222/2025 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5(M)/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विनय कुमार पुत्र मेवालाल निवासी शहरीबन्धा थाना देवगाव, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 विमल प्रकाश राय थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
3. का0 ऋषभ शुक्ला थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
4. का0 शिवम तिवारी थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

02. थाना-दीदारगंज:- गैर इरादतन हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी कमली देवी पत्नी सुबेदार ग्राम इरनागोकूलपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि पुरानी बात को लेकर अभियुक्त सुवन्त उर्फ श्रवण पुत्र स्व0 रामपलट ग्राम इरनागोकूलपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के जेठ विश्राम पुत्र स्व0 बरसाती जो अपने घर से पड़ोस में जा रहे थे, को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा, मना करने पर लोहे की पाईप से मारापीटा जिससे उन्हें बेहोशी हालत में प्राईवेट अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया

गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 167/25 धारा 115(2),352,351(3),110 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पीडित का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 04.07.2025 को उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुवन्त उर्फ श्रवण कुमार पुत्र स्व0 रामपलट निवासी इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज आजमगढ उम्र 20 वर्ष को ग्राम औरंगावाद में रोड के किनारे बने मंदिर के पास से समय करीब 4.25 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. सुवन्त उर्फ श्रवण कुमार पुत्र स्व0 रामपलट निवासी इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 167/025 धारा 115(2)352,351(3)105 वीएनएस थाना दीदारगंज आजमगढ।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का राड

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. चौकी प्रभारी उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3.का0 रामसिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
4. का0 राजकुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
5. का0 सर्वेश थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

03. थाना-फूलपुर:-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 04-07-2025 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी चौकी प्रभारी अम्बारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवम पाण्डेय पुत्र शत्रुधन उर्फ जितेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को ग्राम बहाउद्दीनपुर मोड़ पर बने कटरे के पास से समय करीब 01.20 बजे एक अदद नाजायज तंमचा 12 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 332/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शिवम पाण्डेय पुत्र शत्रुधन उर्फ जितेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद नाजायज तंमचा 12 बोर

02. दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 -332/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर,आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 426/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियन थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 332/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 श्री रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
02.का0 अनुपम सिंह थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
03.का0 इरशाद आंसारी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
04.का0 दयाशंकर यादव थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।